# अध्याय - 9

# आरक्षण-सुविधा के संबंध में आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों के अनुभव

अध्याय 8 में वर्तमान आरक्षण–नीति के संबंध में शिक्षकों की प्रतिक्रिया व उनके सुझावों को जाना गया। शोध के इस भाग में **आरक्षित श्रेणी** के शिक्षक उत्तरदाताओं से उनके द्वारा ली गई आरक्षण सुविधा के संबंध में व्यक्त उनकी प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया गया है। इस भाग में एक अन्य प्रश्न पर भी विचार किया गया है जिस पर आरक्षित व अनारक्षित दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाताओं ने अपने विचार प्रकट किये हैं। उनके इन विचारों का विश्लेषण आरक्षित श्रेणी के उत्तरदाताओं द्वारा आरक्षण-सुविधा लेते वक्त आई कठिनाइयों, आदि को समझने में स्पष्टता तो प्रदान करेगा ही, साथ ही इससे यह समझने में भी मदद मिलेगी कि अनारक्षित श्रेणी के उत्तरदाता किस कारण से आरक्षण का विरोध करते हैं।

## 9.1 आर्थिक वर्ग व रूकावटें

शोध के **अध्याय-4** में उत्तरदाता से पूछा गया था कि वे अपने आपको किस आर्थिक वर्ग में गिनते हैं जिसकी प्रतिक्रियास्वरूप ज्यादातर उत्तरदाताओं ने अपने आपको मध्यम वर्ग में गिना था। जब उनसे पूछा गया कि क्या

### 9.1.i उनके वर्ग **की तरक्की में दूसरे वर्ग के लोग रूकावट डालते हैं**

| **विकल्प** | **उत्तरदाता** | **प्रतिशत** |
|---|---|---|
| 1. नहीं डालते हैं | 136 | 56.7 |
| 2. डालते हैं | 91 | 37.9 |
| उत्तर नहीं दिया | 13 | 5.4 |
| **कुल** | **240** | **100.0** |

56.7% उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके वर्ग की तरक्की में कोई दूसरा **वर्ग** रूकावट नहीं डालता है जबकि 37.9% ने माना कि उनके वर्ग की तरक्की में दूसरे **वर्ग** के लोग रूकावट डालते हैं।

### 9.1.i क संस्था के आधार पर

| विकल्प | स्कूल | कालेज |
|---|---|---|
| 1. नहीं डालते हैं | 87<br>(49.7) | 49<br>(75.4) |
| 2. डालते हैं | 76<br>(43.4) | 15<br>(23.1) |
| उत्तर नहीं दिया | 12<br>(6.9) | 1<br>(1.5) |
| **कुल** | **175** | **65** |

कालेजों के 23.1% की तुलना में स्कूलों के 43.4% शिक्षक उत्तरदाता मानते हैं कि उनके वर्ग की तरक्की में किसी और वर्ग के लोग रूकावट डालते हैं।

### 9.1.i ख श्रेणी के आधार पर

| विकल्प | आरक्षित | अनारक्षित |
|---|---|---|
| 1. नहीं डालते हैं | 18<br>(35.3) | 118<br>(62.4) |
| 2. डालते हैं | 31<br>(60.8) | 60<br>(31.7) |
| उत्तर नहीं दिया | 2<br>(3.9) | 11<br>(5.9) |
| **कुल** | **51** | **189** |

अनारक्षित श्रेणी के 31.7% की तुलना में आरक्षित श्रेणी के 60.8% उत्तरदाता मानते हैं कि उनके वर्ग की तरक्की में किसी और वर्ग के लोग रूकावट डालते हैं।

अर्थात् प्राप्त डेटा दर्शाता है कि कालेज व अनारक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाता मानते हैं कि उनके वर्ग की तरक्की में दूसरे वर्ग के लोग रूकावट नहीं डालते हैं। इसके विपरीत स्कूल व आरक्षित श्रेणी के उत्तरदाताओं को लगता है कि दूसरे वर्ग के लोग उनके वर्ग की तरक्की में रूकावट डालते हैं जो अपने आप में चिंतणीय मुद्दा है।

### 9.1.ii यदि रूकावट डालते हैं तो किस वर्ग के लोग

(नोट - इस जानकारी के संबंध में प्राप्त शिक्षक उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया का केवल श्रेणी के आधार पर ही विश्लेषण किया गया है)।

**श्रेणी के आधार पर** प्राप्त शिक्षक उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया से ज्ञात होता है कि दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने जाति को वर्ग मानकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है तथा दोनों ही श्रेणियों के ज्यादातर उत्तरदाता दूसरी श्रेणी के लोगों को अपने वर्ग की तरक्की में रूकावट डालने वाला मानते हैं। उच्च वर्ग व निम्न वर्ग के लोगों को भी दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाताओं ने अपने-अपने वर्ग की तरक्की में रूकावट डालने वाला बतलाया है। कुछ उत्तरदाताओं ने नौकरशाहों व राजनीति से जुड़े लोगों को अपने वर्ग की तरक्की में रूकावट डालने वाला माना है **(तालिका 9.1.ii, परिशिष्ट II)**। प्राप्त डेटा पूर्व में किए गए अध्ययन (**सिंह, 1994**) के निष्कर्षों की कुछ हद तक पुष्टि करते प्रतीत होते हैं जिसमें आरक्षित श्रेणी के लोगों ने अपने वर्ग के पिछड़ने के लिए सवर्णों द्वारा कठिन प्रतिस्पर्धा व भ्रष्टाचार को दोषी बतलाया था।

### 9.1.iii आपके वर्ग की तरक्की में रूकावट डालने के तरीके

**आरक्षित श्रेणी** के ज्यादातर उत्तरदाता मानते हैं कि उनके प्रति अभी भी समाज में भेदभाव होता है, उन्हें शिक्षा लेने से निरूत्साहित किया जाता है तथा समाज में उनके प्रति गलत धारणाएं फैलाई जाती हैं। अधिकारी वर्ग आरक्षण-नीति को उचित ढंग से लागू नहीं करते तथा उन्हें इसके संबंध में गलत व अधूरी जानकारी देते हैं जबकि उच्च वर्ग पैसे व पहुँच के बल पर उनका हक छीन लेते हैं। **अनारक्षित श्रेणी** के ज्यादातर उत्तरदाता मानते हैं कि शिक्षा व रोजगार में आरक्षण के कारण उनके योग्य व्यक्ति का हक छिन जाता है, विशेषकर **पदोन्नति में दिये जाने वाले आरक्षण के कारण उनमें विद्रोह, निराशा व कुंठा पनपती है।** उच्च वर्ग अपने पैसे के बल पर रिश्वत, जानपहचान व बेईमानी द्वारा उनका हक छीन लेते हैं, नौकरशाह शिक्षण व्यवसाय की उपेक्षा करते हैं जबकि राजनीतिज्ञ वोट बैंक के लालच में राजनीति का दुरूपयोग करते हैं **(तालिका 9.1.iii, परिशिष्ट II)**।

**सामंत** (1992) के अध्ययन में उत्तरदाताओं ने माना था कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार की उनके लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति में अनदेखी की जाती है, उनके सहयोगियों व संबंधित अधिकारियों द्वारा उनको उत्पीड़ित व बेज्ज़त किया जाता है। शोध में प्राप्त आरक्षित श्रेणी के शिक्षकों की प्रतिक्रिया भी काफी हद तक **सामंत** के अध्ययन के निष्कर्षों की पुष्टि करते हैं जबकि अनारक्षित श्रेणी के शिक्षकों की प्रतिक्रिया उनके मन में आरक्षण के कारण उपजी कुंठा को दर्शाती है।

उत्तरदाताओं द्वारा व्यक्त प्रतिक्रिया समाज में फैले जातीय विद्वेष को समझने में भी सहायता प्रदान करती है। श्रेणी के आधार पर प्राप्त उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया से यह समझने में सहायता मिलती है कि वे एक दूसरे के प्रति अपने मन में कैसी भावनाएं रखते हैं तथा उनके बीच द्वेष व दूरी के क्या कारण हैं। साथ ही उच्च वर्ग व अधिकारी वर्ग द्वारा अपने पैसे व पद का दुरूपयोग दोनों ही श्रेणी के शिक्षकों में निराशा व कुंठा को जन्म देता है जो किसी भी स्वस्थ व समतामूलक समाज के लिए शुभ लक्षण नहीं है तथा इन पर समय रहते ध्यान देने की आवश्यकता है।

शोध में आरक्षित श्रेणी के उत्तरदाताओं से उनके द्वारा ली गई आरक्षण सुविधा व उससे संबंधित अन्य पहलुओं पर उनकी प्रतिक्रिया जानी गई जिसका विश्लेषण आगे के पृष्ठों में किया गया है। इससे समाज में आरक्षण को लेकर फैले भ्रमों को समझने व उन्हें दूर करने में मदद मिल सकती है।

## 9.2 आरक्षित समूह व आरक्षण का अनुभव

### 9.2.i आरक्षण-सुविधा का लाभ लिया है

| विकल्प | उत्तरदाता | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. नहीं | 7 | 13.7 |
| 2. हाँ | 44 | 86.3 |
| उत्तर नहीं दिया | - | - |
| **कुल** | **51** | **100.0** |

प्राप्त डेटा से ज्ञात होता है कि आरक्षित श्रेणी के कुल शिक्षक उत्तरदाताओं में से 86.3% ने स्वयं अथवा उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने या तो आरक्षण सुविधा का लाभ लिया है अथवा ले रहे हैं। अपनी श्रेणी विशेष में अनु.जाति के 41 (93.2%), अनु. जनजाति के 2(100%) व अन्य पिछड़ा वर्ग के 1(20%) उत्तरदाताओं ने स्वयं अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य ने आरक्षण सुविधा का लाभ लिया है अथवा ले रहे हैं।

**9.2.ii आरक्षण सुविधा न लेने के कारण**

आरक्षण-सुविधा का लाभ न लेने वाले 7 उत्तरदाताओं में से 3 ने कहा कि उन्हें इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई जबकि 4 अन्य उत्तरदाताओं ने इसके अलग-अलग कारण बतलाए। एक ने कहा कि शुरू में वह आरक्षित श्रेणी में नहीं था जबकि एक अन्य ने इसका कारण निम्न शैक्षिक स्तर होना माना। एक उत्तरदाता को इसका अवसर नहीं मिला जबकि एक अपनी आय के कारण इस सुविधा से वंचित रहा।

**9.2.iii इन सुविधाओं का लाभ लेते वक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा**

| विकल्प | उत्तरदाता | प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1. नहीं | 24 | 54.5 |
| 2. हाँ | 20 | 45.4 |
| कुल | 44 | 100.0 |
| लागू नहीं | 7 | - |
| कुल | 51 | 100.0 |

*(नोट : लाभ लेने वाले 44 उत्तरदाताओं में से)*

लाभ लेने वाले कुल शिक्षक उत्तरदाताओं में से 45.4% उत्तरदाताओं को इसमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

**9.2.iv कठिनाइयों के प्रकार**

**छः** उत्तरदाताओं को जाति का प्रमाण-पत्र लेते वक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। संबंधित कर्मचारियों द्वारा नामांकन में रूकावट डालने की कोशिश की गई जबकि कुछ ने प्रमाण-पत्र बनाने के लिए रिश्वत मांगी। **छः** उत्तरदाताओं ने कहा कि

उन्हें अधिकारी वर्ग की उपेक्षा व भेदभाव का शिकार होना पड़ा जबकि अनारक्षित श्रेणी के लोग उनको अयोग्य मानते हुए उन पर व्यंग कसते हैं व उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं। कुछ उत्तरदाताओं को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिली जबकि एक को अपने मनपसंद कालेज में दाखिला नहीं मिला (**तालिका 9.2.iv, परिशिष्ट II**)।

**यादव** (1981) के अध्ययन में भी ज्यादातर उत्तरदाता संबंधित अधिकारियों के व्यवहार से असंतुष्ट थे। वे आरक्षण के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं को लागू करने के प्रति उदासीन पाये गये। साथ ही आवेदन पत्र जमा करते समय उनके द्वारा अनुचित भाषा का प्रयोग किया गया। **चिटनिस** (1980), **सामंत** (1992) व **शाह** (1997) के अध्ययनों में भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जानबुझकर जाति-प्रमाण पत्र बनाने में देरी करने, हस्ताक्षर न देने, छात्रवृत्ति फार्म व छात्रवृत्ति की राशि देने में आनाकानी करने व अनुचित भाषा का प्रयोग करने की बात कही गई है। उत्तरदाताओं द्वारा प्राप्त प्रतिक्रिया एक बार फिर उसी की पुष्टि करती है।

### 9.2.v आरक्षण-सुविधा का लाभ लेने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय

| उपाय वरीयताक्रम | प्रथम | द्वितीय |
|---|---|---|
| 1. समाज में शैक्षिक जागरूकता के द्वारा | 15 (29.4) | 12 (23.5) |
| 2. आरक्षण–नीति के पक्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके | 24 (47.1) | 14 (27.4) |
| 3. समस्या के ऐतिहासिक और सामाजिक पहलुओं पर प्रकाश डालकर | 2 (3.9) | 2 (3.9) |
| 4. पिछड़े वर्गों में मलाई परत की पहचान करके | 4 (7.8) | 1 (2.0) |
| 5. संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर | 3 (5.9) | 12 (23.5) |
| 6. बल प्रयोग द्वारा | - | 2 (3.9) |
| उत्तर नहीं दिया | 3 (5.9) | 8 (15.7) |
| **कुल** | **51** | **51** |

**प्रथम वरीयता** - 47.1% शिक्षक मानते हैं कि आरक्षण-नीति के पक्ष में समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके इस सुविधा का लाभ लेने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है जबकि 29.4% ने माना कि ऐसा समाज में शैक्षिक जागरूकता के द्वारा किया जा सकता है। किसी भी उत्तरदाता ने यह नहीं माना कि बल प्रयोग के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। पिछड़े वर्गों में मलाई परत की पहचान करने को भी ज्यादातर उत्तरदाताओं ने इसका उपाय नहीं माना है।

**द्वितीय वरीयता** - दूसरी वरीयताक्रम में भी शिक्षक उत्तरदाताओं की ऐसी ही प्रतिक्रिया प्राप्त हुई परन्तु इस क्रम में 23.5% उत्तरदाताओं ने यह भी माना कि ऐसा संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर उचित व आवश्यक प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है।

अतः ज्यादातर उत्तरदाताओं ने माना कि आरक्षण सुविधा लेते वक्त आने वाली कठिनाइयों को इस नीति के पक्ष में समाज में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके, शैक्षिक जागरूकता के द्वारा व संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर उचित व आवश्यक प्रशिक्षण देकर दूर किया जा सकता है।

**9.2.vi आरक्षण के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएँ**

| विकल्प / सुविधाएँ | असंतोषजनक | संतोषजनक | पूरी तरह संतोषतजनक | उत्तर नहीं दिया | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. अधिकतम आयु सीमा में छूट | 1 (2.0) | 23 (45.1) | 23 (45.1) | 4 (7.8) | **51** |
| 2. न्यूनतम अंक सीमा में छूट | 6 (11.8) | 22 (43.1) | 20 (39.2) | 3 (5.9) | **51** |
| 3. हॉस्टल सुविधा | 11 (21.6) | 23 (45.1) | 10 (19.6) | 7 (13.7) | **51** |
| 4. छात्रवृत्ति की राशि | 9 (17.6) | 18 (35.3) | 18 (35.3) | 6 (11.8) | **51** |
| 5. मुफ्त कोचिंग सुविधा | 14 (27.5) | 15 (29.4) | 16 (31.4) | 7 (13.7) | **51** |

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 80 से 90 प्रतिशत उत्तरदाता अधिकतम आयु सीमा व न्यूनतम अंक सीमा में छूट को संतोषजनक अथवा पूरी तरह संतोषजनक मानते हैं। छात्रवृत्ति की राशि को भी ज्यादातर उत्तरदाता संतोषजनक अथवा पूरी तरह संतोषजनक मानते हैं। मुफ्त कोचिंग व हॉस्टल सुविधा को क्रमशः 25.5% व 21.6% उत्तरदाता असंतोषजनक मानते हैं। **अध्याय-7** में ज्यादातर उत्तरदाताओं ने छात्रवृत्ति की राशि को अपर्याप्त व असंतोषजनक माना था जबकि इस अध्याय में ज्यादातर उत्तरदाता इसे संतोषजनक अथवा पूरी तरह संतोषजनक मानते हैं परन्तु हॉस्टल सुविधा को ज्यादातर शिक्षकों ने अपर्याप्त माना था। अतः उपरोक्त डेटा दर्शाता है कि ज्यादातर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया उनकी पूर्व में व्यक्त की गई प्रतिक्रिया से ही काफी हद तक मेल खाती है।

## 9.3 आरक्षित समूह व सामाजिक संबंध

### 9.3.i निम्नलिखित व्यक्ति आपके साथ सहयोग करते हैं

| विकल्प<br>संबंधित व्यक्ति | नहीं, किसी कार्य में नहीं | हाँ, लेकिन कुछ ही कार्यों में | हाँ, हर प्रकार के कार्यों में | उत्तर नहीं दिया | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. प्रिंसिपल/ विभागाध्यक्ष | 2 (3.9) | 24 (47.1) | 22 (43.1) | 3 (5.9) | **51** |
| 2. सहकर्मी | 0 | 21 (41.2) | 25 (49.0) | 5 (9.8) | **51** |
| 3. गैर-शिक्षक स्टॉफ | 2 (3.9) | 26 (51.0) | 18 (35.3) | 5 (9.8) | **51** |
| 4. छात्र | 1 (2.0) | 17 (33.3) | 29 (56.9) | 4 (7.8) | **51** |
| 5. अभिभावक | 5 (9.8) | 20 (39.2) | 22 (43.1) | 4 (7.8) | **51** |
| 6. सरकारी अधिकारी वर्ग | 5 (9.8) | 29 (56.9) | 12 (23.5) | 5 (9.8) | **51** |

59.6% उत्तरदाता मानते हैं कि उनके छात्र उन्हें हर प्रकार के कार्यों में सहयोग देते हैं जबकि 33.3% मानते हैं कि वे कुछ ही कार्यों में सहयोग करते हैं। 49%

उत्तरदाता मानते हैं कि उनके सहकर्मी उनके साथ हर प्रकार के कार्यों में सहयोग करते हैं जबकि 41.2% मानते हैं कि वे उनके कुछ ही कार्यों में सहयोग करते हैं। प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष व अभिभावक के संबंध में भी ज्यादातर उत्तरदाता मानते हैं कि वे उनके हर अथवा कुछ कार्यों में सहयोग करते हैं। सरकारी अधिकारी वर्ग व गैर-शिक्षक स्टॉफ के संबंध में ज्यादा उत्तरदाता (क्रमशः 56.9% व 51%) मानते हैं कि वे उनके कुछ ही कार्यों में सहयोग करते हैं। क्रमशः 9.8% उत्तरदाताओं का मानना है कि अभिभावक व सरकारी अधिकारी वर्ग उनके किसी भी कार्य में उनसे सहयोग नहीं करते।

इस प्रकार उपरोक्त डेटा दर्शाता है कि ज्यादातर उत्तरदाता छात्रों, सहकर्मियों, प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष व अभिभावकों को सहयोग करने वाला मानते हैं जबकि गैर-शिक्षक स्टॉफ व सरकारी अधिकारी वर्ग को वे कुछ हद तक ही सहयोग करने वाला मानते हैं। इनमें भी सबसे कम सहयोग करने वाला सरकारी अधिकारी वर्ग है जो एक बार फिर पूर्व में किये गये अध्ययनों (**यादव 1981, सामंत 1992**) से प्राप्त नतीजों की पुष्टि करते हैं।

### 9.3.ii आपके प्रति निम्नलिखित का व्यवहार

| विकल्प / संबंधित व्यक्ति | निरूत्साहित करने वाला (अपमानजनक) | सामान्य | प्रोत्साहित करने वाला (सम्मानजनक) | उत्तर नहीं दिया | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. प्रिंसिपल/ विभागाध्यक्ष | 2 (3.9) | 26 (51.0) | 21 (41.2) | 2 (3.9) | **51** |
| 2. सहकर्मी | - | 29 (56.9) | 20 (39.2) | 2 (3.9) | **51** |
| 3. गैर-शिक्षक स्टाफ | 2 (3.9) | 31 (60.8) | 14 (27.5) | 4 (7.8) | **51** |
| 4. छात्र | - | 23 (45.1) | 25 (49.0) | 3 (5.9) | **51** |
| 5. अभिभावक | 1 (2.0) | 24 (47.1) | 21 (41.2) | 5 (9.8) | **51** |
| 6. सरकारी अधिकारी वर्ग | 5 (9.8) | 28 (54.9) | 11 (21.6) | 7 (13.7) | **51** |

49% उत्तरदाता छात्रों के व्यवहार को अपने प्रति सम्मानजनक अथवा प्रोत्साहित करने वाला मानते हैं जबकि 60.8% गैर–शिक्षक स्टाफ के व्यवहार को, 56.9% सहकर्मियों के व्यवहार को 54.9% सरकारी अधिकारी वर्ग के व्यवहार को व 51% प्रिंसिपल/विभागाध्यक्ष के व्यवहार को अपने प्रति सामान्य मानते हैं। 9.8% शिक्षक उत्तरदाता सरकारी अधिकारी वर्ग के व्यवहार को अपमानजनक अथवा निरूत्साहित करने वाला मानते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ज्यादातर उत्तरदाता अपने छात्रों, प्रिंसिपल/विभागाध्यक्षों, सहकर्मियों व अभिभावकों के व्यवहार को अपने प्रति सम्मानजनक या सामान्य मानते हैं जबकि सरकारी अधिकारी वर्ग व गैर–शैक्षिक स्टाफ के व्यवहार को वे सामान्य या अपमानजनक मानते हैं।

### 9.3.iii आपके प्रति उनके इस व्यवहार के संभावित कारण

| **कारण वरीयताक्रम** | **प्रथम** | **द्वितीय** |
|---|---|---|
| 1. आपकी जाति/जनजाति विशेष के कारण | 13 (25.5) | 5 (9.8) |
| 2. आपकी आर्थिक स्थिति के कारण | 4 (7.8) | 5 (9.8) |
| 3. आपकी शैक्षिक योग्यता के कारण | 18 (35.3) | 12 (23.5) |
| 4. आपके व्यक्तित्व के कारण | 7 (13.7) | 9 (17.6) |
| 5. उनके प्रति आपके व्यवहार के कारण | 7 (13.7) | 13 (25.5) |
| उत्तर नहीं दिया | 2 (3.9) | 7 (13.7) |
| **कुल** | **51** | **51** |

**प्रथम कारण** के रूप में 35.3% उत्तरदाता अपने प्रति दूसरों के (सामान्य अथवा सम्मानजनक) व्यवहार को अपनी शैक्षिक योग्यता के कारण मानते हैं जबकि 25.5% उत्तरदाता इसे अपनी जाति/जनजाति विशेष के कारण मानते हैं।

**दूसरे कारण** के रूप में 25.5% उत्तरदाता इसे दूसरों के प्रति अपने व्यवहार के कारण व 17.6% इसे अपने व्यक्तित्व के कारण मानते हैं। अतः प्राप्त डेटा दर्शाता है कि आरक्षित श्रेणी के व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता व दूसरों के प्रति उनका व्यवहार समाज में उनको सम्मान व प्रतिष्ठा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी जाति व जनजाति तथा उनका आकर्षक व्यक्तित्व भी इसमें कुछ भूमिका निभाते हैं परन्तु आर्थिक रूप से सम्पन्नता उन्हें समाज में प्रतिष्ठा दिलवाने में बहुत ही कम भूमिका निभाती है।

## 9.4 सारांश

शोध के प्रस्तुत भाग में पूछी गई जानकारी के संबंध में 37.9% शिक्षक उत्तरदाता मानते हैं कि उनके वर्ग की तरक्की में अन्य वर्गों के लोग रूकावट डालते हैं। स्कूलों के 43.4% व आरक्षित श्रेणी के 60.8% उत्तरदाता ऐसा मानते हैं। इस जानकारी के संबंध में कि कौन से वर्ग के लोग उनके वर्ग की तरक्की में रूकावट डालते हैं, श्रेणी के आधार पर दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाताओं ने जाति को वर्ग मानकर परिभाषित करते हुए एक दूसरे को अपने वर्ग की तरक्की में रूकावट डालने वाला माना है। ऐसा मानने वाले ज्यादा उत्तरदाता अनारक्षित श्रेणी के हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ही श्रेणियों के कुछ उत्तरदाताओं ने उच्च वर्ग, नौकरशाहों व राजनीति अथवा राजनीतिज्ञों से जुड़े लोगों को भी अपने-अपने वर्ग की तरक्की में रूकावट डालने वाला माना है।

इस जानकारी के संबंध में कि ये लोग किस प्रकार उनके वर्ग की तरक्की में रूकावट डालते हैं, आरक्षित श्रेणी के ज्यादातर उत्तरदाताओं ने कहा कि अनारक्षित श्रेणी के लोग उनके साथ भेदभाव करके, उनका शोषण करके तथा समाज में उनके व आरक्षण-नीति के प्रति गलत अफवाहें फैलाकर जबकि अधिकारी वर्ग आरक्षण-नीति के संबंध में उन्हें गलत जानकारी देकर व इस सुविधा को देने में अनावश्यक अड़चने डालकर उनके वर्ग की तरक्की में रूकावट डालते हैं। इसके विपरीत अनारक्षित श्रेणी के लोग मानते हैं कि आरक्षण के कारण शिक्षा व रोजगार में योग्यता की अनदेखी करके, विशेषकर पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा देकर उनके वर्ग की तरक्की में रूकावट डाली जा रही है जिससे उनमें कुंठा, विद्रोह व निराशा पनप रही है।

आरक्षित व अनारक्षित, दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाता यह भी मानते हैं कि उच्च वर्ग, नौकरशाही व राजनीतिज्ञ अपने धन व पद का दुरूपयोग कर गलत तरीके (जैसे रिश्वत, सिफारिश) अपना कर उनका हक छीन रहे हैं। अनारक्षित श्रेणी के 5 उत्तरदाता यह भी मानते हैं कि नीति-निर्माण में शिक्षा व शिक्षण व्यवसाय की उपेक्षा हो रही है जो उनकी (शिक्षक वर्ग की) तरक्की में रूकावट डाल रही है।

शोध के प्रस्तुत भाग में आरक्षण-नीति से संबंधित कुछ व्यावहारिक प्रश्न केवल आरक्षित श्रेणी के उत्तरदाताओं से ही पूछे गये। आरक्षित श्रेणी के 51 उत्तरदाताओं में से 44 (86.3%) उत्तरदाता ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं अथवा उनके परिवार के किसी सदस्य ने आरक्षण-सुविधा का लाभ लिया हैं अथवा ले रहे हैं। कुल 7 उत्तरदाताओं ने आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं लिया है जिनमें से एक ने कहा कि वह पहले सामान्य श्रेणी में था जबकि 3 को इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। एक उत्तरदाता को इसका अवसर नहीं मिला जबकि एक अपने निम्न शैक्षिक स्तर के कारण तथा एक अपनी आय वर्ग के कारण इस सुविधा का लाभ लेने से वंचित हो गया।

आरक्षण सुविधा का लाभ लेने वाले 44 उत्तरदाताओं में से 20 (45.4%) उत्तरदाताओं को आरक्षण-सुविधाओं का लाभ लेते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनु.जाति में से ज्यादातर को जाति का प्रमाण-पत्र बनवाते वक्त अनेक कठिनाइयाँ आईं। संबंधित कर्मचारियों द्वारा इसके लिए रिश्वत की मांग की गई। कुछ को अधिकारी वर्ग की उपेक्षा का शिकार होना पड़ा जबकि समाज में आरक्षण-नीति को लेकर फैले भ्रम के कारण भी उन्हें आवश्यक शैक्षिक योग्यता होने के बावजूद अपमान सहना पड़ा।

इनमें से ज्यादातर उत्तरदाताओं ने माना कि समाज में आरक्षण-नीति के पक्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करके, शैक्षिक जागरूकता के द्वारा व संबंधित अधिकारियों को समय-समय पर उचित व आवश्यक प्रशिक्षण देकर आरक्षण सुविधा का लाभ लेने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। अधिकतम आयु-सीमा में छूट की सुविधा को ज्यादातर उत्तरदाता संतोषजनक मानते हैं। न्यूनतम अंक सीमा में

छूट व छात्रवृत्ति की राशि को भी ज्यादातर ने संतोषजनक माना। परन्तु हॉस्टल व मुफ्त कोचिंग की सुविधा को लगभग एक-चौथाई उत्तरदाताओं ने असंतोषजनक माना।

ज्यादातर उत्तरदाता मानते हैं कि उनके छात्र, सहकर्मी, प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष व छात्रों के अभिभावक लगभग हर कार्य में उनका सहयोग करते हैं जबकि गैर-शैक्षिक स्टाफ व सरकारी अधिकारी वर्ग कुछ ही कार्यों में उनका सहयोग करते हैं। सरकारी अधिकारी वर्ग व अभिभावकों के संबंध में लगभग 1/10 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि वे किसी भी कार्य में उनका सहयोग नहीं करते। इसी प्रकार ज्यादातर उत्तरदाता मानते हैं कि उनके छात्रों का व्यवहार उनके प्रति सम्मानजनक है जबकि उनके सहकर्मियों, अभिभावकों व प्रिंसिपल/ विभागाध्यक्ष का व्यवहार उनके प्रति सामान्य हैं। 1/10 प्रतिशत उत्तरदाता सरकारी अधिकारियों के व्यवहार को अपमानजनक मानते हैं।

ज्यादातर उत्तरदाता अपने प्रति उनके इस व्यवहार का कारण अपनी शैक्षिक योग्यता को मानते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उत्तरदाता दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को, अपनी जाति/जनजाति विशेष को व अपने व्यक्तित्व को भी इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ही कम उत्तरदाताओं ने अपने प्रति उनके इस व्यवहार के लिए जिम्मेदार माना।

अतः उपरोक्त डेटा दर्शाते हैं कि आरक्षित व अनारक्षित दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाताओं में, जो कि एक शिक्षित वर्ग है तथा जिसके हाथ में देश का भविष्य है, आरक्षण के कारण निराशा व कुंठा पनप रही है। आरक्षित वर्ग इसलिए परेशान है कि आरक्षण-नीति का उचित कार्यान्वयन नहीं हो रहा है जिससे उन्हें इसका पूरा लाभ नहीं मिल रहा परन्तु समाज का दूसरा वर्ग (अनारक्षित) समझता है कि आरक्षण के कारण वे (आरक्षित समूह) बहुत अधिक लाभान्वित हो रहे हैं जिससे उनमें उनके प्रति विद्वेष की भावना पैदा हो रही है तथा संबंधित अधिकारी वर्ग भी उनसे उचित व्यवहार नहीं करता। उन्हें लगता है कि वे (आरक्षित श्रेणी) अन्य लोगों का हक छीन रहे हैं अथवा ये सुविधाएं देकर वे (अनारक्षित श्रेणी/अधिकारी वर्ग) उन पर अहसान कर रहे हैं।

अनारक्षित श्रेणी के शिक्षक आरक्षण-नीति से इस कारण भी निराश हैं कि इससे उनकी श्रेणी के योग्य व्यक्ति का हक छिन रहा है जबकि आरक्षित श्रेणी के अक्षम व अयोग्य व्यक्ति को आरक्षण के कारण पदोन्नति भी जल्दी मिल जाती है जिससे उनमें (अनारक्षित श्रेणी में) विद्रोह की भावना पनप रही है।

दोनों ही श्रेणियों के उत्तरदाताओं द्वारा समाज में फैले भ्रष्टाचार को भी इंगित किया गया है जिसके कारण धन व पद का दुरूपयोग करते हुए उच्च वर्ग, नौकरशाह व राजनीति से जुड़े लोग उनका हक छीन लेते हैं। शिक्षित वर्ग के ये विचार एक स्वस्थ व समतामूलक समाज के लिए चिंता का विषय है जिसपर समय रहते विचार करने की आवश्यकता है।

प्रस्तुत अध्याय में आरक्षण सुविधा लेने वाले समूह के इन सुविधाओं को लेकर व्यक्तिगत अनुभवों को जाना गया। शोध के अंतिम अध्याय में अध्ययन का सार व उपसंहार प्रस्तुत किया गया है।